**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**<u>उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर</u>**

**<u>एकल पीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश</u>**

**<u>दांडिक अपील क्र. 2288 / 1996</u>**

त्रिलोकीनाथ एवं अन्य

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>निर्णय</u>**

3/12/2011 को निर्णय के लिए सूचीबद्ध करें

**सही/-**
**सुनील कुमार सिन्हा**
**न्यायाधीश**

**<u>उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर</u>**

**<u>एकल पीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश</u>**

**<u>दांडिक अपील क्र. 2288 / 1996</u>**

**अपीलार्थीगण**

1. त्रिलोकीनाथ पाण्डेय, आत्मज श्री वासुदेव पाण्डेय, उम्र लगभग 35 वर्ष।

2. हरेन्द्र सिंह ठाकुर, आत्मज श्री कपिलदेव ठाकुर, दोनों निवासी ठाकुर टिम्बर, आर्यनगर, अप्सरा टॉकीज के सामने, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग (म.प्र.) (अब छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**विरुद्ध**

**<u>उत्तरवादी</u>** मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

**<u>अपील अंतर्गत धार 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता</u>**

---

**<u>उपस्थिति</u>**

**अपीलार्थीगण के लिए श्री बी पी सिंह, अधिवक्ता।**

**राज्य के लिए श्री अरविन्द दुबे, पेनल अधिवक्ता।**

---

**<u>निर्णय</u>**

**(13/12/2011)**

1) यह अपील द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र विचारण क्र. 33/1996 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 के विरुद्ध निर्देशित है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थीगण को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20 (ख)(**ii**) के तहत दोषसिद्ध किया गया है और 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डादिष्ट किया गया है, अर्थदण्ड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर 2 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2) संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:—

तीन अभियुक्तगण, त्रिलोकीनाथ, उषाबाई ठाकुर और हरेन्द्र सिंह ठाकुर के विरुद्ध स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम की धारा 20 (ख) (**ii**) के तहत अभियोजन चलाया गया था । अपीलार्थी-हरेन्द्र सिंह ठाकुर, उषाबाई ठाकुर का पति है । अपीलार्थी-त्रिलोकीनाथ पाण्डेय उनके घर में नौकर के रूप में कार्यरत था । 14.10.1995 को उप-निरीक्षक आदित्य कुमार शर्मा (अ.सा.-7) को गुप्त सूचना मिली कि अभियुक्तगण स्वापक औषधियों की बिक्री में संलिप्त हैं । यह सूचना नगर निरीक्षक एस.के. यादव और नगर पुलिस अधीक्षक बी.पी.

चंद्रवंशी को भेजी गई । आदित्य कुमार शर्मा (अ.सा.-7) ने एक परीक्षण खरीद की व्यवस्था की । उन्होंने स्वापक औषध खरीदने के लिए शारदा प्रसाद (अ.सा.-2) को 50 रुपये के दो करंसी नोट दिए । शारदा प्रसाद (अ.सा.-2) हरेन्द्र सिंह के घर गया, जहाँ उसे उषाबाई मिली । उसने उपरोक्त 50 रु के दो नोट उषाबाई को दिए और चरस की मांग की । अभियुक्त-उषाबाई ने सह-अभियुक्त त्रिलोकीनाथ के माध्यम से शारदा प्रसाद (अ.सा.-2) को 10 ग्राम चरस दी । तभी पुलिस दल वहाँ पहुँच गया । उषाबाई को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस दिया गया और उसकी जामा तलाशी ली गई । तलाशी के दौरान उसके कब्जे से गांजा और भांग मिश्रित 150 ग्राम स्वापक औषधि और 50 रुपये के 2 करंसी नोट जब्त किए गए । शारदा प्रसाद (अ.सा.-2) के कब्जे से भी 10 ग्राम चरस जब्त की गई, जो उसने उषाबाई से खरीदी थी । आगे की विवेचना में, अपीलार्थी-त्रिलोकीनाथ को हिरासत में लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसका मेमोरेंडम कथन दर्ज किया गया, जिसमें उसने बताया कि अपीलार्थी-हरेन्द्र सिंह ठाकुर ने उनके ठाकुर टिम्बर मार्ट के पीछे स्थित अपने स्वामित्व और कब्जे वाले एक खुले भूखंड में गड्ढा खोदकर एक टिन में छिपाकर गांजा और भांग मिश्रित 4 किलो चरस रखी है । उक्त मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी-10) के आधार पर हुई बरामदगी में, अपीलार्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

त्रिलोकीनाथ पाण्डेय की निशानदेही पर उक्त भूखंड के स्थान को खोदकर चरस, गांजा, भांग और अफीम मिश्रित 31 लड्डू, जिनका कुल वजन 4 किलो था, जब्त किए गए । अभियुक्त-उषाबाई और त्रिलोकीनाथ को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया; हालाँकि, अपीलार्थी-हरेन्द्र सिंह ठाकुर को 14.11.1995 को गिरफ्तार किया गया । जब्तशुदा वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए विधिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया । एफ.एस.एल रिपोर्ट के अनुसार, प्रकटीकरण में जप्त वस्तु (31 लड्डू) और उषाबाई के कब्जे से जब्त वस्तु चरस होना पाए गए । एफ.एस.एल रिपोर्ट प्रदर्श पी-26 है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**3)** विचारण के पश्चात, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त-उषाबाई ठाकुर को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उचित रूप से अनुपालन नहीं किया गया था जिससे उसके अधिकारों का हनन हुआ है।

**4)** वर्तमान दोनों अपीलार्थीगण को अपीलार्थी क्र. 1- त्रिलोकीनाथ पाण्डेय की निशानदेही पर की गई बरामदगी और जब्ती के आधार पर दोषसिद्ध किया गया । विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह माना कि चरस, अपीलार्थी-हरेन्द्र सिंह ठाकुर के स्वामित्व और कब्जे वाले भूखंड में एक गड्ढे में छिपी हुई पाई गई थी । त्रिलोकीनाथ केवल एक नौकर था, और विनिषिद्ध पदार्थ की भारी मात्रा को देखते

हुए, यह उसके लिए अकेले इतनी मात्रा रखना संभव नहीं था, इसलिए अपीलार्थी-हरेन्द्र सिंह ठाकुर, जिसके भूखंड में त्रिलोकीनाथ के मेमोरेंडम पर चरस मिली थी, उसे भी उक्त विनिषिद्ध पदार्थ रखने के लिए दंड का उत्तरदायी माना गया, और इस प्रकार दोनों अपीलार्थीगण को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध किया गया ।

**5)** अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह ने तर्क दिया कि यद्यपि भूखंड अपीलार्थी-हरेन्द्र सिंह ठाकुर के स्वामित्व में था, परंतु वह काफी समय से एक खुला भूखंड था जहाँ सभी की पहुँच थी । वह बेशर्म की झाड़ियों से ढका हुआ था । केवल उक्त भूखंड से चरस की जब्ती के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी हरेन्द्र सिंह ठाकुर भी चरस की बिक्री में शामिल था और वह भी दंड का पात्र था। जहां तक त्रिलोकीनाथ की दोषसिद्धि का संबंध है, उन्होंने तर्क दिया कि मेमोरेंडम और जब्ती स्वतंत्र गवाहों द्वारा सिद्ध नहीं की गई थी और आदित्य कुमार शर्मा (अ.सा.-7) की गवाही, पुलिस कागजातों में हेरफेर करने के उनके आचरण के कारण, अविश्वसनीय थी इस कारण \त्रिलोकीनाथ पाण्डेय की दोषसिद्धि, जो पूरी तरह से मेमोरेंडम और जब्ती पर आधारित है, उसे भी स्थिर नहीं रखा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**6)** दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया ।

**7)** मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है ।

**8)** स्वीकृत रूप से, अपीलार्थी-हरेन्द्र सिंह ठाकुर के विरुद्ध कोई भी अभियोगात्मक साक्ष्य नहीं है। परीक्षण खरीद के समय हरेन्द्र सिंह ठाकुर उपस्थित नहीं था। उसके कब्जे से कुछ भी जब्त नहीं किया गया है। उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज अपीलार्थी-त्रिलोकीनाथ पाण्डेय के मेमोरेंडम के प्रारंभिक भाग में किए गए कथनों के आधार पर नहीं जोड़ा जा सकता। वे कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं । विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह माना है कि चूँकि विनिषिद्ध पदार्थ अपीलार्थी-हरेन्द्र सिंह ठाकुर के भूखंड में एक गड्ढे में छिपा हुआ पाया गया था, इसलिए वह विनिषिद्ध पदार्थ का कब्जा रखने के लिए दंड का भागी था । उपरोक्त निष्कर्ष सही प्रतीत नहीं होता है। साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि उक्त भूखंड एक खुला भूखंड था जहाँ सभी की पहुँच थी। वह अपीलार्थी-हरेन्द्र सिंह ठाकुर के घर से बहुत दूर था। इसलिए, किसी और के द्वारा उक्त तरीके से विनिषिद्ध पदार्थ को छिपाने के लिए उसके भूखंड का उपयोग करने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, केवल उक्त भूखंड का स्वामी होने के कारण, ज्ञान या भागीदारी के किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में, हरेन्द्र सिंह ठाकुर को उक्त अपराध के कारित होने से नहीं जोड़ा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**9)** श्री अरविंद दुबे ने तर्क किया है कि हरेन्द्र सिंह ठाकुर फरार था और बाद में 14.11.1995 को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उक्त आचरण सुसंगत और अभियोगात्मक है । मैं उक्त तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता। यह एकमात्र परिस्थिति उसे एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 (ख) (**ii**) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ***थिममा बनाम मैसूर राज्य, उत्तरवादी , ए. आई. आर 1971 एस. सी. सी. 1871*** में यह निर्धारित किया गया था कि अपराध घटित होने के तुरंत बाद अभियुक्त का फरार होना सुसंगत साक्ष्य है, जो कुछ हद तक उसके दोषी मन का संकेत देता है, परंतु यह उस तथ्य का निर्णायक प्रमाण नहीं है क्योंकि संदिग्ध होने पर एक निर्दोष व्यक्ति भी गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसे आचरण का सहारा ले सकता है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**10)** अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर, मैं उपर्युक्त साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी-हरेन्द्र सिंह ठाकुर की दोषसिद्धि को स्थिर नहीं रख सकता। मेरी राय है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उक्त साक्ष्यों पर अपीलार्थी हरेन्द्र सिंह ठाकुर को दोषसिद्ध करने में विधिक भूल की है और उसे दी गई दोषसिद्धि तथा दांत अपास्त किए जाने योग्य है।

**11)** जहाँ तक अपीलार्थी त्रिलोकीनाथ पाण्डेय की दोषसिद्धि का प्रश्न है, मेमोरेंडम और जब्ती के दो गवाहों, राकेश ताम्रकार (अ.सा.-3) और शैलेंद्र सिंह (अ.सा.-4) पक्षद्रोही हो गए हैं । उन्होंने न तो मेमोरेंडम का समर्थन किया और न ही उस

बरामदगी और जब्ती का, जो कथित तौर पर अपीलार्थी-त्रिलोकीनाथ पाण्डेय की निशानदेही पर की गई थी । मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी-10) आदित्य शर्मा (अ.सा.-7) द्वारा दर्ज किया गया था। उन्होंने अपने मेमोरेंडम (प्रदर्श पी-10) और जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी-12) के माध्यम से अपीलार्थी-त्रिलोकीनाथ पाण्डेय की निशानदेही पर विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी और जब्ती के बारे में गवाही दी है।

**12)** श्री बी.पी. सिंह ने तर्क किया कि केवल आदित्य कुमार शर्मा (अ.सा.-7) की गवाही पर मेमोरेंडम और जब्ती पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि विचारण न्यायालय ने स्वयं उनके आचरण को संदिग्ध माना है जैसा की विचारण न्यायालय ने निर्णय के पैरा 24 में यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि उन्होंने बाद में धारा 50 के तहत नोटिस (प्रदर्श पी-6) में महत्वपूर्ण हेरफेर किया था, जिसे उन्होंने अपनी प्रति-परीक्षण के पैरा 51 में स्वीकार किया है । विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 24 और 25 में इस आशय का निष्कर्ष दिया है और आदित्य कुमार शर्मा (अ.सा.-7), जिन्होंने मामले का अन्वेषण किया था, के उक्त कृत्य की निंदा भी की है । मुझे इस विधिक प्रस्थापना पर कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल पुलिस अधिकारी की गवाही पर आधारित हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण कारक यह होगा कि पुलिस अधिकारी का साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय और ऐसी गुणवत्ता का होना चाहिए कि उसकी गवाही पर कोई संदेह न किया जा सके। वर्तमान प्रकरण उस श्रेणी का नहीं है । वर्तमान प्रकरण में, विचारण न्यायालय ने

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अन्वेषण अधिकारी का आचरण निष्पक्ष नहीं था और उन्होंने चालान कागजातों में धारा 50 के नोटिस (प्रदर्श पी-6) में 3 लाइनें जोड़कर महत्वपूर्ण हेरफेर किया था, जिसे उन्होंने अपनी प्रति-परीक्षण में भी स्वीकार किया। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का गंभीर संज्ञान लिया है और लंबी चर्चा के बाद, अन्वेषण अधिकारी की कार्रवाई की निंदा की है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में आदित्य कुमार शर्मा (अ.सा.-7) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं था, और यह न्यायालय में इतना विश्वास नहीं जगाता कि अपीलार्थी-त्रिलोकीनाथ पाण्डेय की दोषसिद्धि को कथित बरामदगी और जब्ती के संबंध में उनकी एकमात्र गवाही पर अवलंब लिया जा सके।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**13)** शारदा प्रसाद (अ.सा.-2), जिसने कथित तौर पर विनिषिद्ध पदार्थ खरीदा था, वह भी पक्षद्रोही हो गया है। अभियोजन का पक्ष यह था कि अभियुक्त-उषाबाई ठाकुर के निर्देश पर अपीलार्थी त्रिलोकीनाथ पाण्डेय द्वारा शारदा प्रसाद (अ.सा.-2) को 10 ग्राम चरस सौंपी गई थी। यह त्रिलोकीनाथ के विरुद्ध एक जोड़ने वाला साक्ष्य होता, लेकिन लोक अभियोजक द्वारा शारदा प्रसाद की लंबी प्रति-परीक्षण के बाद भी, इस संबंध में कोई अभियोगात्मक तथ्य अभिलेख पर नहीं लाया जा सका। अतः, केवल आदित्य कुमार शर्मा (अ.सा.-7) के एकमात्र साक्ष्य पर आधारित अपीलार्थी त्रिलोकीनाथ की दोषसिद्धि भी स्थिर नहीं रखी जा सकती

**14)** पूर्वगामी कारणों से, अपील स्वीकार की जाती है, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 (ख) (**ii**) के तहत अपीलार्थीगण को दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाती है । अपीलार्थीगण को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । यह बताया गया है कि अपीलार्थी जमानत पर हैं, उनके जमानत मुचलके रद्द किए जाते हैं और प्रतिभू उन्मोचित किए जाते हैं।

**सही/-**
**सुनील कुमार सिन्हा**
**न्यायधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated by Adv. Shikhar bakhtiyar**